साहिबगंज नगर परिषद, साहिबगंज।

पत्रांक– 25 / न0प0, दिनांक– 04/01/2018

–: आवश्यक सूचना :–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के सू–संगत धाराओं के आलोक में एतद् द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि :–

1. जिनके दुकान एवं मकान, प्रतिष्ठान का होल्डिंग नहीं है वे नगर परिषद् से अपना होल्डिंग लेना सुनिश्चित करें। दिनांक–31 मार्च,2018 तक बिना बिलम्ब दण्ड के होल्डिंग टैक्स जमा कर सकते है।
2. सभी दुकानदारों फुथ–पात विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में नगर परिषद को सहयोग करें– कचरा को डस्टबिन में ही डालें, अपने–अपने दुकान में डस्टबिन का प्रयोग करें, ट्रेड लाईसेन्स अद्यतन रखें।
3. सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि साहेबगंज शहरी क्षेत्र पलास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। 50 माईक्रोन से कम पलास्टिक बैग प्रतिबंधित है इसके बिक्री एवं प्रयोग दण्डणीय अपराध है। नियम के उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. अपने आवास, दुकान, प्रतिष्ठान के सामने एवं यत्र–तत्र कचड़ा न फैलायें, शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा न डालें। पकड़े जाने पर निर्धारित दण्ड शुल्क वसूला जायेगा।
5. हलवाई, चाट, फास्ट फूड, आईस्कीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रुट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा गंदगी फैलाने तथा सैलून वालों के द्वारा यत्र–तत्र बाल इत्यादि डालकर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना वसूला जायेगा।
6. खुले में शौच करने तथा सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने वालों से जुर्माना वसूला जायेगा।
7. खाली, सरकारी जमीन, आम रास्ता, सड़क एवं मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, गधा, सुअर इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने, पालने, व्यवसाय करने तथा गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने, प्लेटफार्म बनाकर नाली अतिकमण् करने आदि पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
8. नगर परिषद से बिना अनुमति प्राप्त किये प्राईवेट कम्पनियों के द्वारा अपने होडिंग्स नगर क्षेत्र में लगा कर प्रचार करने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. सभी मांस बिक्रेता नगर परषिद् कार्यालय से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लाईसेन्स बनवाना सुनिश्चित करें तथा दुकान के सामने जानवरों की हड्डियॉ, मलवा, मलीदा, खून, पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि डालकर गंदगी न फैलायें अन्यथा दण्ड शुल्क सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
10. दुकानदारों, व्यवसायियों के द्वारा आम रास्ता, 'दुकान के सामने सरकारी जमीन, नाला, खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने, ढाबा, भोलनालय चलाकर तथा स्कूटर एवं साईकिल रिपेयरिंग कर आयल, पानी फैलाकर गन्दगी फैलाने पर दण्ड सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
11. वार्ड विकास केन्द्र के गठन के लिए स्वयंसेवकों के चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि दिनांक–31.01.2018 तक विस्तारित की गई है। इच्छुक व्यक्ति उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते है।
12. सभी टोटो चालक 15 दिनों के अंदर नगरपरिषद से निर्धारित शुल्क एक हजार रूपये जमा कर नगर क्षेत्र में चलाने हेतु परमीट दिनांक–20.01.2018 तक प्राप्त कर लें अन्यथा अवैध रूप से नगर परिषद क्षेत्र में चलने वाले ई–रिक्शा को जब्त किया जायेगा।
13. स्वच्छता से संबंधित शिकायत के लिए SWACHHSTA APP के माध्यम से शिकायत करें जिसपर नगर परिषद् के द्वारा समय सीमा के अंदर कार्रवाई की जायेगी।
14. सभी शहर वासियों से अनुरोध है कि वे अपने नैतिक जिम्मेवारियों को निभायें तथा साहेबगंज शहर को स्वच्छ, स्वस्थ्य एवं सुन्दर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

04.1.18

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद साहिबगंज।

04/1/18

ज्ञापांक 25 / SBM, साहेबगंज, दिनांक – 04/01/2018.

प्रतिलिपि– प्रचारक, विजय चौरसिया, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार–प्रसार अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगतार 7 दिनों तक सभी वार्डो मे करना सुनिचित करेगें। (बाजार, मार्केट एरिया (एन0एच0–80) में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगें तथा मुख्य–मुख्य स्थान के स्थानीय नागरिकों से प्रचार नोटिस में हस्ताक्षर करा कर अभिश्रव प्रस्तुत करेगें।)

प्रतिलिपि– निदेशक, न0प्र0नि0 झारखण्ड सरकार राँची/ उपायुक्त, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी नोडल पदाधिकारी/AE/ SBM प्रभारी/ PMAY शाखा/ सफाई प्रभारी/NULM/ स्वच्छताग्रही/सभी तहसीलदार/TD/SPS/ सभी वार्ड उप उपसमिति, न0प0 से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ प्रेषित।

04.1.18

कार्यपालक पदाधिकारी,
साहिबगंज नगर परिषद्।

04/1/18